कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज.

सा.नि.वि., जैकब रोड़, जयपुर वेबसाईटः–pwd.rajasthan.gov.in

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2019–20/डी–411 दिनांकः 21/11/19

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, **संभाग/पी.पी.पी. सैल (समस्त)**।
अधीक्षण अभियंता, **वृत/सर्वे एवं गुण नियंत्रण वृत कार्यालय (समस्त)**।
अधिशाषी अभियंता, **मुख्यालय/खण्ड/सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड कार्यालय (समस्त)**।

विषयः– समस्त बजट मदों में आवंटित बजट का नियमानुसार नियमित रूप से उपयोग करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश संभागीय, वृतीय तथा खण्डीय कार्यालयों में आवंटित बजट का नियमानुसार नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उपयोग किया जाता है, जो कि तर्कसंगत एवं नियमानुकूल नहीं है। समय पर बजट उपयोग नहीं करने से जिस कार्यालय में बजट की आवश्यक्ता होती है वहां पर्याप्त बजट आवंटित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा उपयोग नहीं करने वाले कार्यालय में वर्ष के अन्त तक बजट बिना उपयोग के लैप्स होने की संभावना बनी रहती है।

अतः समस्त कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आपको आवंटित बजट का उपयोग बकाया दायित्वों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा यदि बकाया दायित्वों की राशि आवंटित बजट से अधिक है, तो बकाया दायित्वों की सूची के साथ नियमानुसार मांग 7 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन संधारण एवं वाहनों का किराया मद में आवंटित बजट में से बकाया दायित्वों का भुगतान दिनांकः 30.11.2019 तक किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त तिथि के पश्चात् शेष रहे बजट को आहरित कर लिया जाकर अन्य कार्यालयों को उनके बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु (बकाया दायित्वों की सूची 7 दिवस में प्रस्तुत करने पर) बजट उपलब्धता के अनुसार आवंटित कर दिया जावेगा तथा भविष्य में भुगतान बकाया रहने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें तथा सूचना 7 दिवस में उपलब्ध करावें।

19/XI/2019

(अनूप कुलश्रेष्ठ)
मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि., राज., जयपुर।